

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

क्र. 112/15

तारीख 23.11.15

उपान - मुकेश बगम द्वारा कौश भागद्वारा
दावा बाबत तकारमा व स्थायी निवेधाबा

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एवं श्री शशाङ्क शर्मा A.W. ने दावा बाबत तकारमा व स्थायी निवेधाबा पेश किया। शपथपत्र व जमाबन्दी का हारलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गणों को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 15.12.15 को पेश है।

3088-3/20

24/11/15

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

12/15 वादी वकील उपरो प्रतिवादी नं 33 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा A.W. ने क्लामत माफा पेश किया प्रतिवादी नं 1, 12, 14, 19, 28, 30, 32 के सम्मान विधिवत तामील हो चुके हैं किन्तु कोर्ट उपस्थित नहीं हैं इनके खिलाफ एक पक्षीय आर्चवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी नं 13, 15, 16, 17, 18, 28, 31 के सम्मान अदम तामील प्राप्त हुए हैं पुनः तामिली हेतु सम्मान तलवाना रजि. नं 10 पेश कर/वास्तु आवश्यक प्रति. नं 33 दिनांक 21.12.15 को पेश है।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प महस्सामे दिनांक
31.5.17 को पेश हो

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर महस्सामे
में पेश हुई। आईका दिनांक 10.2.17 को पेश हो

10.7.17
वकुलाय उपस्थित/पाठान्तक अधिकारी कैम्पमें
पेश है। अतः पत्रावली गतनुसार
दिनांक 31.2.17 को पेश हो।
राज

31.7
वकुलाय उपस्थित। वार्ड लन कीयाल
दिनांक 18.9.17 को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

18.9.17 जनरल प्रेशी से पेश हुई। गतनुसार लनकी अफम
कोर्ट-डि 25-10-17 को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

35.10.17

वकुलाय उपस्थित। वादी वकील जे Not Press कर
मुकदमे का आगे नही चलाने का कथन किया किसी
वकील द्वारा Not Press करने से यह दावा खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दाखिल दफतर हो।

Not Press

R